

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजनडिक्री

दिनांक :- 10/3/26

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल ^{आर.टी.ए.} उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि राजीनामा के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया जाता है:-

क. वादी सुखमंदर सिंह:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
33 एसटीजी	15/335	11 ता 15	1.265 हैक्.
33 एसटीजी के खाता सं. 126 के प.नं.	11/339, 11/340		1.537 हैक्.
कुल			2.802 हैक्.

ख. प्रतिवादी सं. 1 सरदूल सिंह:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
33 एसटीजी	15/335	16 ता 20	1.265 हैक्.

ग. प्रतिवादी सं. 2 सर्वजीत कौर:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
33 एसटीजी	15/335	21 ता 25	1.252 हैक्.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/ बारानी/ गैरमुमकिन/ गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक ...10/3/2026... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

()
(उमा मित्तल आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेमहासहायक क्लर्क
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा